



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

Special General Meeting

Date: 25 May, 2025 (25-05-2025)

Place: Hotel Golden Sunrise, Patna

Time: 11:00 AM onwards

Attendance: As per the register

अध्यक्षता: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मीटिंग की अध्यक्षता की।

कोरम : बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान में वर्णित आवश्यक कोरम पूर्ण पाए जाने एवं उसकी पुष्टि किए जाने के उपरांत बैठक विधिवत शुरू की गई।

Agenda-1: To Discuss and Decide the Rules of procedure for the elections

निर्णय: सचिव महोदय ने सभा में उपस्थित सदस्यों को बताया कि यह विषय गत आमसभा दिनांक 19.01.2025 में विचारार्थ तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था

It was brought to the notice of the members that this matter was discussed in the meeting dated 19.01.2025 and

The Resolution passed in the General Body Meeting dated 19.01.2025 is hereby Confirmed as under

The representative nominated by the District Cricket Association/ Full member could either be the office bearer of the full member which includes only President, Vice President, Secretary, Joint Secretary and Treasurer or the Current Office Bearer or Governing Council Members of the Bihar Cricket Association (2022-2025) eligible to contest General Election 2025. The power and decision to nominate such representative shall fully vest with the valid Full Members.

सदस्यों के ध्यान में लाया गया कि इस मामले पर दिनांक 19.01.2025 की बैठक में भी चर्चा की गई थी और "उचित विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन/पूर्ण सदस्य द्वारा नॉमिनेट किया गया प्रतिनिधि या तो उस पूर्ण सदस्य का पदाधिकारी (जिसमें केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेज़रर शामिल हैं) हो सकता है, या फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (2022-2025) का मौजूदा पदाधिकारी या गवर्निंग काउंसिल का सदस्य हो सकता है जो 2025 के आम चुनाव में लड़ने के लिए योग्य हो। ऐसे प्रतिनिधि को नॉमिनेट करने का अधिकार और फ़ैसला पूरी तरह से वैध पूर्ण सदस्यों के पास होगा।

दिनांक 19.01.2025 की आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए अनुमोदित किया जाता है।



Affiliated to BCCI

bca@biharcricicketassociation.com

Agenda-2: To Discuss and Decide the matters related with Election of COM for the 2025-2028 Term of Office

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.02.2025 के आदेश द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की नियमावली में स्वीकृत संशोधनों का यथाशीघ्र निबंधक, बिहार के कार्यालय में विधिवत आलेखन (Registration) कराया जाए तथा आलेखन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संशोधित नियमावली को विधि-सम्मत रूप से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

सदन ने सर्वसम्मति से यह भी संकल्प पारित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.02.2025 के आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधनों सहित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की संपूर्ण नियमावली को एसोसिएशन द्वारा विधिवत आत्मसात (Adopt) किया जाता है तथा भविष्य की सभी प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियाँ उक्त संशोधित नियमावली के अनुरूप संचालित की जाएँगी। सीईओ श्री मनीष राज ने सदन को अवगत कराया कि निबंधन विभाग, बिहार में नियमावली के आलेखन की प्रक्रिया के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं, जिनका विभागीय स्तर पर विधिसम्मत निस्तारण किया जा रहा है। विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि लगभग एक माह के भीतर आपत्तियों का निस्तारण कर अनापत्ति एवं आलेखन प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाएगा।

सदन ने आगामी कार्यकारिणी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में नियुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ. एम. मोदास्सिर से पुनः संपर्क स्थापित कर उनकी सहमति प्राप्त करने तथा उनके एवं उनके सहायक के मानदेय, यात्रा व्यय एवं आवासन संबंधी शर्तों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया।

विस्तृत चर्चा के उपरांत सदन ने बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया कि सीईओ श्री मनीष राज को निर्वाचन अधिकारी एवं उनके सहायक के मानदेय, यात्रा व्यय, आवासन एवं निर्वाचन संचालन से संबंधित अन्य आवश्यक व्ययों का निर्धारण एवं अनुमोदन करने हेतु पूर्णतः अधिकृत किया जाता है तथा इस संबंध में उनके द्वारा लिया गया निर्णय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का विधिवत निर्णय माना जाएगा।

Agenda-3: Any other matter of importance with the permission of the chair

(A) रूल्स ऑफ प्रोसीजर का स्पष्टीकरण एवं आत्मसात

सभाध्यक्ष की अनुमति से सीतामढ़ी के प्रतिनिधि श्री ज्ञान प्रकाश एवं सारण की प्रतिनिधि श्रीमती इंदु कुमारी ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को और अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित किए जाने का विषय सदन के समक्ष रखा। श्री ज्ञान प्रकाश ने अवगत कराया कि दिनांक 19.01.2025 की बैठक में स्वीकृत संशोधन प्रस्ताव तथा वर्तमान बैठक के



Affiliated to BCCI

bca@biharcricicketassociation.com

एजेंडा संख्या-1 के अंतर्गत संपुष्ट किए गए प्रस्ताव को कुछ आवश्यक उपबंधों सहित और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। श्रीमती इंदु कुमारी ने प्रस्ताव रखा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूर्व में प्रकाशित रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आत्मसात किया जाए तथा वर्तमान बैठक में एजेंडा संख्या-1 के अंतर्गत पारित एवं संपुष्ट संशोधनों को उक्त रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अभिन्न अंग माना जाए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत सदन ने ध्वनिमत से निर्णय लिया कि पूर्व वर्षों में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रकाशित रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आत्मसात किया जाता है तथा दिनांक 25.05.2025 के एजेंडा संख्या-1 के अंतर्गत संपुष्ट संशोधनों को उक्त रूल्स ऑफ प्रोसीजर में समाहित एवं प्रभावी माना जाएगा।

(B) पूर्व लोकपाल के मानदेय के संबंध में

सभाध्यक्ष की अनुमति से सीईओ श्री मनीष राज ने पूर्व लोकपाल माननीया श्रीमती नीलू अग्रवाल (सेवानिवृत्त न्यायाधीश,) के लंबित मानदेय के संबंध में विषय प्रस्तुत किया। उन्होंने अवगत कराया कि उनके कार्यों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के कारण उनका मानदेय अब तक लंबित है।

सदन ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि इस विषय में विधि विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(C) जिला क्रिकेट संघों की नवगठित कार्यकारिणियों का अनुमोदन

सदन ने बांका, भोजपुर, अरवल, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघों की नवगठित एवं विधिवत निर्वाचित कार्यकारिणियों को शुभकामनाएँ प्रेषित कीं तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जिला क्रिकेट संघों की निर्वाचित कार्यकारिणी से संबंधित विधिसम्मत अभिलेख प्राप्त हो जाएँ, उनके पदाधिकारियों का विवरण सीईओ या उनके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया/करवाया जाए।

(D) पूर्व निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में विचार

सदन के समक्ष बिहार राज्य के सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी श्री अशोक कुमार चौहान एवं श्री हेमचंद्र सिरोही के संबंध में विषय प्रस्तुत किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि संघ द्वारा समय-समय पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट किए जाने एवं पत्राचार किए जाने के बावजूद दोनों अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर ऐसे कदम उठाए गए, जिनसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की विधिसम्मत गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न हुई। बाद में पटना के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के उपरांत स्थिति स्पष्ट हो गई। यह भी चर्चा किया गया कि श्री अशोक कुमार चौहान ने पूर्व में



Affiliated to BCCI

bca@biharcricicketassociation.com

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्वाचन अधिकारी का दायित्व ग्रहण करने हेतु किए गए अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। साथ ही यह भी चर्चा किया गया कि श्री हेमचंद सिरोही ने वर्ष 2019 की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके उपरांत की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा श्रीमती मीरा पाण्डेय (सेवानिवृत्त आईएस) को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु नियुक्त किया गया था। सदन ने यह भी संज्ञान लिया कि श्री हेमचंद सिरोही को उनके संदिग्ध आचरण एवं संघ विरोधी गतिविधियों के कारण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की विशेष आम सभा दिनांक 28.07.2023 में अवांछित घोषित किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि तत्पश्चात आयोजित बैठक में भी की जा चुकी है।

(E) अनुशासनात्मक कार्रवाई

सदन ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अथवा उसके संबद्ध जिला क्रिकेट संघों के ऐसे पूर्व अथवा निवर्तमान पदाधिकारी, जिनके विरुद्ध संघ विरोधी गतिविधियों, अनुशासनहीनता अथवा अन्य गंभीर आरोपों के संबंध में कारण-पृच्छा जारी की गई है तथा जिनसे संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें अगले आदेश तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अथवा उसके संबद्ध जिला क्रिकेट संघों की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

सदन ने यह भी संज्ञान लिया कि श्री रविशंकर प्रसाद सिंह, श्री आनंद कुमार, श्री रुपेश कुमार झा एवं पूर्व खिलाड़ी यशस्वी रिशव द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों संबंधी आवेदन को बीसीसीआई को प्रस्तुत किया गया था, जिसे बीसीसीआई द्वारा बीसीए के लोकपाल के समक्ष अग्रसारित किया गया। माननीय लोकपाल द्वारा दिनांक 24.05.2025 को पारित आदेश में यशस्वी रिशव द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार, दुर्भावनापूर्ण एवं अनुशासनहीनता से प्रेरित माना गया तथा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

सदन ने बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि यशस्वी रिशव द्वारा लगाए गए आरोप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हैं। अतः यशस्वी रिशव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की सभी गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया।

(F) स्टेडियम निर्माण संबंधी विषय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्टेडियम निर्माण परियोजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया तथा दिनांक 19.01.2025 को इस संबंध में लिए गए निर्णय का अनुमोदन एवं संपुष्टि की गई।

सदन ने यह भी निर्णय लिया कि स्टेडियम निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (Executive Engineer) स्तर के अधिकारी की संविदा आधारित नियुक्ति के



Affiliated to BCCI

bca@biharcricquetassociation.com

लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकृत किया गया।

अन्य कोई विषय विचारार्थ शेष न रहने के कारण सभाध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

Rakesh Kumar Tiwari

राकेश कुमार तिवारी
अध्यक्ष
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन